

4/25

पत्रावली फंदाहुई कोर्ट उपरियत रही। मूल वाद अदम  
 हाजरी - अदम फंकी में वारिफ किया जा चुका है।  
 मूल वाद के अयाव में इस पत्रावली पर आपवाही का  
 कोई औपिल नहीं है। अतः सावजन अदम हाजरी -  
 अदम फंकी में वारिफ किया जा लाई। पत्रावली  
 फल ल शुमालोकाद नम्बाले काफ है। मूल पत्रावली  
 के साथ संलग्न है।

**सपखण्डाधिकारी**  
 धौलपुर (राज०)